कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक सी-46/बीज-उर्वरक/के-82 दिनांकः लखनऊः 01 ~~अक्टूबर~~-11-,2017

1-समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक
सहकारिता,उ0प्र0।

2-समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
जिला सहकारी बैंक लि0,उ0प्र0।

3-समस्त जिला प्रबन्धक
पी0सी0एफ0,उ0प्र0।

कृपया इस कार्यालय के परिपत्रांक सी-44/बीज-उर्वरक/के-82/2017-18 दिनांक 16.10.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा रबी वर्ष 2017-18 के अर्न्तगत वितरित किये जाने वाले प्रमाणित बीजों की आपूर्ति एंव फुटकर बिक्री दर संसूचित करते हुए उक्त दरों पर बीज वितरित करने के निर्देश दिये गये थे।

उपर्युक्त क्रम में अवगत कराना है कि प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ ने अपने पत्रांक 15659 दिनांक 31.10.2017 द्वारा अवगत कराया है कि कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्रांक एस0 एफ0/1361टी /जी-9/बीज दर /रबी /2017-18 दिनांक 30.10.2017 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से रबी वर्ष 2017-18 के लिए समस्त स्त्रोतों से प्राप्त गेहूँ के प्रमाणित बीज की समस्त प्रजातियों हेतु अधोलिखित विवरणानुसार संशोधित विक्रय दर निर्धारित की है :-

(दर रू0 प्रति कु0)

क्र.	फसल/प्रजाति	फुटकर विक्रय दर
1	प्रमाणित गेहूँ बीज (समस्त प्रजातियां)	3100.00(रू0 तीन हजार एक सौ मात्र)

अतः उपर्युक्त क्रम में रबी वर्ष 2017-18 में वितरित किये जाने वाले प्रमाणित गेहूँ बीजों के समितियों के आपूर्ति एंव फुटकर बिक्री दर निम्नवत संशोधित की जाती है :-

क्र.	फसल/प्रजाति	कृषि विभाग द्वारा निर्धारित फुटकर बिक्री दर (रू0 प्रति कु0)	समिति का मार्जिन फुटकर बिक्री दर का 7 % प्रति कु0	पी0सी0एफ0द्वारा समितियों को आपूर्ति दर (रू0 प्रति कु0	समितियों द्वारा कृषकों को फुटकर बिक्री दर रू0 प्रति कु0
1	गेहूँ बीज (समस्त प्रजातियां)	3100.00	217.00	2883.00	3100.00

अतः निर्देशित किया जाता है कि रबी अभियान 2017–18 में गेहूँ प्रमाणित बीजों का उक्त दरों पर वितरण कराना सुनिश्चित करें। बीज वितरण हेतु परिपत्रांक सी–44/बीज–उर्वरक/के–82/2017–18 दिनांक 16.10.2017 द्वारा पूर्व में निर्गत शर्तें यथावत रहेंगी।

(अजय चौहान)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश।
परिपत्रांक सी–46 /कृ0नि0/बीज/के–82 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पी0सी0एफ0, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक,सहकारिता,उ0प्र0।
3–वरिष्ठ राज्य विपणन प्रबन्धक, कृभको, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4–प्रबन्ध निदेशक, राज्य बीज विकास निगम लि0,सी–973/74, बी–महानगर, लखनऊ।
5–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जूट एवं कृषि विकास संघ लि0, लखनऊ।
6–प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0,लखनऊ।
7–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0कोआपरेटिव बैक लि0, लखनऊ।
8–अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कम्प्यूटर/वेबमास्टर) को इस आशय से कि इस परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित तथा समस्त सम्बन्धित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक/संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक को ई–मेल पर भी प्रेषित कराने का कष्ट करें।
9–कृषि निदेशक, उ0प्र0 कृषि भवन, लखनऊ।
10–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12–अपर मुख्य सचिव, सहकारिता,उ0प्र0शासन, लखनऊ।
13–प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(राम प्रकाश)
अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ0नि0)
सहकारिता,उ0प्र0
लखनऊ।